संख्या–1865/ XVII-B-1/2020–01(2)/2021

प्रेषक,

एल. फैनई,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग **देहरादूनः** **दिनांकः 18 अक्टूबर, 2021**

विषय–वित्तीय वर्ष 2021–22 में 'उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग' हेतु अधिष्ठान मद में कम पड़ रही धनराशि का पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र 696/नि.अ.क./1341 पुनर्विनियोग/2021–22 दिनांक 13 सितम्बर, 2021 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–423 /9 (150) –2019/xxvii (1)/2021 दिनांक 31–3–2021 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय–व्ययक में "उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग" के अन्तर्गत कम पड़ रही धनराशि ₹4.75 लाख (₹ चार लाख पिचहत्तर हजार मात्र) को संलग्न बी.एम.–09 के अनुसार सम्भावित बचतों को पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तो के अधीन नियमानुसार व्यय हेतु निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्श स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. उक्त धनराशि की स्वीकृति उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग हेतु मानक मद'02–मजदूरी' में व्यय हेतु देयकों के नियमानुसार भुगतान हेतु प्रदान की जा रही है।
2. धनराशि का व्यय करते समय उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 31.3.2021 एवं समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा–निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा।
3. उक्त संदर्भित शासनादेश दिनाक 31.3.2021 के प्राविधानानुसार वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों की आवश्यकताओं को बजट प्राविधान की सीमा तक ही सीमित रखते हुए धनराशि का व्यय किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, कि जिसे व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो। ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित सीमा तक उसी मद के लिए किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यक मदों हेतु ही किया जायेगा तथा व्यय में मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।
7. मितव्ययता के फलस्वरूप अवशेष धनराशि को वित्तीय वर्ष के अन्त में नियमानुसार शासन/वित्त विभाग को समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक संबंधित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक संख्या "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण के मानक मद–04–अल्पसंख्यकों का कल्याण–001–निदेषक तथा प्रशासन–04– अल्लसंख्यक आयोग का अधिष्ठान–00" के मानक मद '02–मजदूरी हेतु भुगतान के नामे डाला जायेगा तथा पुनर्विनियोग संलग्न बी.एम.–09 से किया जायेगा।

3– यह आदेश वित्त अनुभाग–3 के अशा0संख्या 125/(मं.)/xxvii (3) 2021–22 दिनांक 08.10.2021 में प्राप्त उनकी सहमति तथा शासनादेश संख्या–130/xxvii (6) /430 / एक/2008/2019, दिनांक 29.03.2019 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेन्ट आई.डी.सं0–1211, दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।
0015008

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

(एल. फैनई)
प्रमुख सचिव।

संख्याः –1865(1)/XVII-B-1/2020, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरानगर, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सचिव, उत्तराखण्ड आयोग, देहरादून।
8. निदेशक, एन.आई.सी, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
14/10/21
(एल.फैनई)
प्रमुख सचिव।